समाचार-प्रकाशनार्थ:-

कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम ने की नगर निगम में जन शकायत निवारण की शुरुआत

रतलाम 21 अगस्त । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम ने नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के साथ नगर निगम सभागृह में जन शकायत निवारण की शुरुआत शनिवार से की गई। कलेक्टर ने निगम कार्यालय में शाम 4ः00 से 5ः00 बजे तक मौजूद रहकर आवेदकों की समस्याएं सुनीए निगम की संबं धत शाखा को निराकरण हेतु निर्दे शत कया।
कलेक्टर एवं निगम प्रशासक को नागरिकों ने 30 षकायती आवेदन प्रस्तुत कये जिसमें दारोगा को पद से हटाने के आदेश को रद्द करनेए नाले की सफाई नहीं होनेए सांची मल्क पार्लर स्था पत करने हेतु स्थान आवंटन की मांगए मो मनपुरा के प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्र को चालू करवानेए अघो शत कचरा स्थल अन्य स्थान पर स्थानांतरित करनेए पानी की टंकी की सफाई आदि समस्याएं लेकर नागरिक आए जिनके समाधान के लए कलेक्टर द्वारा संबं धत निगम अ धकारियों को निर्दे शत कया गया।
जन शकायत निवारण श वर में वार्ड नंबर 13 के नागरिकों द्वारा दारोगा को हटाने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई। नाहरपुरा के पंकज बैरागी द्वारा घर के बाहर बड़े नाले की सफाई नहीं होने की शकायत की गई। शहर के मो मनपुरा के शासकीय प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्र को पुनः चालू करने की मांग की गई। आवेदक आ सफ अंसारी ने अपने आवेदन में बताया क उक्त प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्र बंद होने से शहर के मो मनपुराए बरगुंडों का वासए कुमारो का वासए कसाई मंडीए खटीक मोहल्लाए सुभाष नगर के आसपास क लगभग 10 कॉलोनियों के गरीब वर्ग के व्यक्तियों को प्राथ मक स्वास्थ्य सु वधा का लाभ नहीं मल पा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र बंद होने से गंदगी एवं असामाजिक तत्वों का

जमावड़ा लगा रहता है जिससे कॉलोनी के लोग परेशान रहते हैं। आवेदक द्वारा यह भी बताया गया क मो मनपुरा डस्पेंसरी के आसपास कचरा डाला जा रहा है जिससे क्षेत्र के रहवा सयों को बीमारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैए समस्या से निजात दिलाई जाए।

शहर के फ्रीगंज निवासी सुशीला उपाध्याय द्वारा आवेदन दिया गया क राजीव गांधी स वक सेंटर स्थित एक फ्लैट का द् वतीय मंजिल पर पंजीयन करवाया है ले कन फ्लैट का आवंटन नहीं हो पाया है। जवाहर नगर निवासी जमील अहमद ने आवेदन दिया क उसकी मा लकी एवं आ धपत्य के प्लाट पर अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से निर्माण कार्य कया जा रहा है। इसी प्रकार आवेदक श्यामसुंदर राठौड़ द्वारा शहर सराय में इं डया गेट के सामने रेस्टोरेंट में कोयले की भ ी लगी होने और उससे जहरीला धुआं निकलने की शकायत की गई। साथ ही रेस्टोरेंट की पानी की टंकी की साफ-सफाई नहीं होने की भी शकायत की गई। शहर के अशोकनगर में कच्ची रोड पर बड़े-बड़े गड्ढे होने और वहां भारी मात्रा में जलजमाव की शकायत शाहिद हुसैन द्वारा की गई। उनके द्वारा मच्छर समस्याए नाली का निकास नहीं होनेए गंदा पानी घरों में आनेए गंदगी होने की भी शकायत की गई। मटाउन कॉलोनी में नल कनेक्शन को व्यक्तिगत रुप से सभी के घरों में लगाने संबंधी आवेदन भी कॉलोनी की सहकारी स मति के अध्यक्ष द्वारा दिया गया।

नागरिकों ने कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम को वकास शाखा 3ए लोक निर्माण 5ए स्वास्थ्य 5ए राशनकार्ड 1ए स्थापना 2ए जलप्रदाय 2ए लोक निर्माण/स्वास्थ्य 7ए राजस्व 2ए स्वास्थ्य/कर्मशाला 1 तथा संपत्तिकर/वकास शाखा की 2 शकायतें इस तरह कुल 30 शकायतें प्रस्तुत की।

इस अवसर पर डप्टी कलेक्टर सुश्री शराली जैनए एसडीएम श्री अ भषेक गेहलोतए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए कार्यपालन यंत्री सर्वश्री सुरेशचन्द्र व्यासए जी.के. जायसवालए मोहम्मद हनीफ शेखए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए श्री एम.के. जैनए लेखा धकारी श्री वजय

बालोद्राए उपयंत्री सर्वश्री सुहास पं डतए श्री बी.एल. चौधरीए मनीष तिवारीए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए निज सहायक श्री सुभाष गोयलए कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा सहित निगम के व भन्न वभागों के अ धकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

सोमवार से निगम अ धकारी एवं कर्मचारियों को ड्रेस कोड में आना होगा
ड्रेस कोड में नहीं आने वालो के वरूद्ध होगी अनुषासनात्मक कार्यवाही

रतलाम 21 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के अ धकारी एवं कर्मचारियों को निर्दे शत कया है क 23 अगस्त सोमवार से अपने कर्तव्य स्थल पर श्रेणीवार डे्स कोड में उपस्थित होवें अन्यथा संबं धतो के वरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क शासन द्वारा नगर निगम में कार्यरत् अ धकारी एवं कर्मचारियों हेतु श्रेणीवार डे्स कोड निर्धारित कया है कन्तु अ धकांश अ धकारी एवं कर्मचारिया अपने कर्तव्य स्थल पर डे्स कोड में उपस्थित नहीं हो रहे है। 23 अगस्त सोमवार से श्रेणीवार डे्स कोड में नहीं आने वाले अ धकारी एवं कर्मचारियों के वरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन कया जा रहा है वजन
21 अगस्त को 71 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 21 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित कया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-ना लयों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कया जाकर जुलवानिया टे्चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 21 अगस्त शनिवार को 71 टन कचरा जुलवानिया टे्चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

21 अगस्त शनिवार को डम्पर व टे्क्टर ट्रॉली से 25375ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 28780ए काम्पेक्टर गीला 16270ए मैजिक 1005 कलो इस तरह कुल 71430 कलो कचरा जुलवानिया टे्चंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

वार्ड प्रभारी मांगीलाल सुल्तान निलंबित

श्री आषीश चौहान को वार्ड 14 के साथ वार्ड 15 का अतिरिक्त प्रभार सौंपा

रतलाम 21 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम द्वारा 21 अगस्त को निगम सभागृह में आयोजित जन शकायत निवारण श वर में वार्ड क्रमांक 15 के नागरिकों द्वारा वार्ड में सफाई नहीं करवाये जानेए जगह-जगह कचरे के ढेर होने की शकायत प्राप्त होने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड प्रभारी मांगीलाल सुल्तान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कया।

वार्ड प्रभारी मांगीलाल सुल्तान का कार्य लापरवाही पूर्ण होनेए घर-घर से कचरा संग्रहण नहीं करवानेए वार्ड में सफाई नहीं करवाने तथा जगह-जगह कचरे के ढेर होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कया गया निलंबन काल में इनका मुख्यालय जुलवानिया टे्चंग ग्राउण्ड रहेगा। मांगीलाल सुल्तान के स्थान पर श्री आशीष चौहानए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक को वार्ड क्रमांक 14 के साथ वार्ड क्रमांक 15 का अतिरिक्त प्रभार सौंपा।

9 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने का सूचना पत्र जारी

रतलाम 21 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर ड्रेस कोड में उपस्थित नहीं रहने तथा दो गैंग कर्मचारियों द्वारा बिना सूचना के कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त कये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान अनिल-सुखराम वार्ड क्रमांक 3 दरोगाए कशोर-जगराम सफाई संरक्षक झोन क्रमांक 2ए राजु-मुरलीधर स्थायीकर्मी झोन क्रमांक 3ए महेन्द्र-राजेन्द्र चौहान दवा छिड़काव कर्मचारीए अमर चौहान दरोगा वार्ड क्रमांक 32ए धीरज-बसंतीलाल ड्रायवर वार्ड क्रमांक 21 व अनिल-चंदूलाल मैजिक हैल्पर वार्ड क्रमाक 21 द्वारा कर्तव्य स्थल पर ड्रेस कोड में उपस्थित नहीं रहने तथा झोन क्रमांक 2 के गैंग कर्मचारी अवतार-धनराज व राकेश-ओमप्रकाश द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त कये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया।

स्पॉट फाईन दल के 6 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने का सूचना पत्र जारी

रतलाम 21 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान स्पॉट फाईन दल द्वारा शहर में कही भी स्पॉट फाईन नहीं करते पाये जाने व शहर के मुख्य मार्गोए घरो व दुकानों के सामने कचरा पाये जाने पर दल के 6 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त कये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया।

स्पॉट फाईन दल के मनोज टांकए राकेश लालावतए पवन झांझोटए आकाश शन्देए मनोज झांझोट व नितिन- कशोर का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त कये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया।

वार्डो में कीटनाषक दवा छिड़काव कार्य हेतु श्री नन्द कषोर भूमक नियुक्त

रतलाम 21 अगस्त । नागरिकों को डेंगूए मलेरिया व वर्षा जनित बीमारियों से बचाने हेतु प्रत्येक वार्ड में कीटनाशक दवा छिड़काव हेतु नियुक्त 49 कर्मचारियों को दवा छिड़काव मशीन उपलब्ध करानेए वार्डो से

प्राप्त रिकार्ड संधारण करने व प्रातः 7 व दोपहर 3 बजे कर्मचारियों की उपस्थित दर्ज करने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वाथ्य वभाग के स्थायीकर्मी श्री नन्द कशोर भूमक को नियुक्त कया है।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 8 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 21 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबं धतों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 10 अगस्त को 5 व्यक्तियों पर जुर्माना कया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अ धकारीए झोन प्रभारी व स्पॉट फाईन दल द्वारा खुले में गंदगी करने पर तीर्थेश्वर उपाध्याय बिरियाखेड़ी संधी कालोनी पर 1000ए रजत रेस्टोरेंट स्टेशन रोड पर 500ए घनश्याम स्टेशन रोडए मॉ वैष्णवी करानाए मॉ अम्बे कराना पीएनटी कालोनी पर 250.250ए अर्जून लक्ष्मणपुराए राठौर कचौरी कार्नर राम मंदिर व मोर्य कचौरी सैलाना बस स्टैण्ड पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भ वष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। स्पॉट फाईन की कार्यवाही स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाड़ेए करण चौहानए वनय चौहान द्वारा की गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह मो. नं. 7471144930ए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931ए श्री करण चौहान मो.नं. 7471144932ए श्री वनय चौहान मो.नं. 8770535145ए श्री वराट मेहरा 9770326691ए स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं.

6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

सोमवार को 8 उ चत मूल्य की दुकानों पर बनेगें आयुष्मान कार्ड
नगर निगम द्वारा अब तक 7158 आयुष्मान कार्ड बनाये गये

रतलाम 21 अगस्त। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत ष्निरामयम’ ’ योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड वार्डो की उ चत मूल्य की दुकानों पर बनाये जा रहे हैं।

23 अगस्त सोमवार को जनता प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार सुभाष नगरए सीनियर प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार थावरिया बाजारए पुजा प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार जवाहर नगरए मरियम प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार जावरा रोडए रेलवे कन्स्यूमर सोसाईटी रेलवे कालोनीए सागर प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार रिटायर्ड कालोनीए श्रीकृष्णा महिला प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार सखवाल नगर व शांतिनाथ प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार ओझाखाली में में पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जायेंगे।

21 अगस्त शनिवार को जयभीम प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार सुभाष नगरए अ भजीत प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार तेजा नगरए ववेकानन्द प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार थावरिया बाजारए चारभुजा प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार जवाहर नगरए माधव प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार शक्ति नगरए गंगोत्री महिला प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार जाटो का वासए रा धका महिला प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार कसारा बाजार व घनश्याम प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार लक्ष्मणपुरा में 27 पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों द्वारा 2543 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 7158 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुष्मान कार्ड से शेष रहे पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है क वे आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडीए आधार कार्डए खाद्यन्न पात्रता

पर्ची के साथ उक्त उ चत मूल्य की दुकानों पर संपर्क कर कार्ड बनवाने की कार्यवाही संपादित करवायें।

निगम से संबं धत करो की बकाया रा श जमा कर अ धभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें

रतलाम 21 अगस्त । षासन निर्देषानुसार नोवेल कोरोना वायरस (को वड-19द्ध वैष्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमीए उद्योग-धन्धे में गरावटए स र्वस सेक्टर आदि में ष थलता परिल क्षत होने के फलस्वरूप निगम से संबं धत करोंए उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया रा ष एक मुष्त जमा कराने पर अ धभार (पेनल्टी) में 31 अगस्त 2021 तक छूट दी जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000ध् ;रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 100 प्रतिशत की छूटए संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000ध् ;रूपये पचास हजार) से अ धक तथा रूपये 1ए00ए000ध् ;रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिषत की छूट व संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 1ए00ए000ध् ;रूपये एक लाख) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अ धभार की रा ष रूपये 10ए000ध् ;रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूटए जलकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 10ए000ध् ;दस हजार) से अ धक तथा रूपये 50ए000ध् ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 75 प्रतिषत की छूटए जलकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000ध् ;पचास हजार) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/कराये की अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 20ए000ध् ;बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 100 प्रतिषत की छूटए अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 20ए000ध् ;बीस हजार) से 50ए000ध्

;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिषत की छूट तथा अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 50ए000ध् ;पचास हजार) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अ धभार पर लागू होगी तथा ब्याजए स्टॉप ड्यूटीए मूल करए मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/कराये पर लागू नहीं होगी।
नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है क संपत्तिकरए जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/कराये की बकाया रा ष नगर निगम कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

12476 मवे शयों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा
स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा
रतलाम 21 अगस्त । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अ भयान चलाया जा रहा है जिसके तहत 21 अगस्त तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 1276 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 21 अगस्त को अलकापुरीए सन सटीए जवाहर नगरए 80 फीट रोडए सज्जन मल रोड आदि क्षेत्रों से 8 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संह के निर्देशन में स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

नगर निगम ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष व आश्रय स्थल बनाये

आपदा प्रबंधन हेतु निगम ने कये व्यापक प्रबंध

रतलाम 21 अगस्त । अति वृष्टि के दौरान उत्पन्न होने वाली संभा वत परिस्थितियों से निपटने एवं आपदा प्रबंधन के लए निगम स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम मे व भन्न वभागों के अ धकारियों तथा कर्मचारियों को पाबंद कर 8 आश्रय स्थलों की स्थापना की है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निगम आयुक्त श्री झारिया ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के लये नियंत्रण कक्ष जिसका दूरभाष नम्बर 07412.270563 स्था पत कर उपयंत्रियों एवं सहायक कर्मचारियों की 8.8 घन्टे की शफ्ट में ड्यूटी लगाई।

इसके अलावा अति वृष्टि हेतु 8 आश्रय स्थल बनाये जाकर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिसके तहत् गांधीनगर कम्युनिटी हॉल पर श्री वशाल भटनागर मो0नं0 9300885504ए ईश्वर नगर वद्यालय भवन पर श्री मुकेश मेहता मो0 नं0 9629647211ए शैरानीपुरा जमातखाना पर श्री वजय अग्रवाल मो0 नं0 9907454456ए अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्ड पर राजेश संह सेंगर मो0 नं0 7697052031ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर श्री प्रदीप उपाध्याय मो0 नं0 9589944748ए धीरजशाह नगर रॉयल हॉल पर श्री कुलदीप भ मो0 नं0 7471144027ए भवन निर्माण कला केन्द्र बिरियाखेड़ी पर श्री महेश व्यास मो0 नं0 9752971374 तथा श्री जैन उ.मा. वद्यालय सागोद रोड पर श्री सुनील कपूर मो0 नं0 9644000433 को नियुक्त कया गया है । आश्रय स्थलों के व्यवस्था की जिम्मेदारी उपयंत्री श्री वकास मरकाम उपयंत्री को सौंपी गई है। जो नियुक्त कये गये कर्मचारियों के सहयोग से समु चत व्यवस्था सुनिश्चित् करेंगे।

नगर निगम के पंेषनरो को देना होगा जी वत प्रमाण-पत्र

रतलाम 21 अगस्त । संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं वकास भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में जी वत प्रमाण-पत्र लया जावेगा।

नगर पा लक निगम रतलाम के समस्त पेंशनरों से अपील की जाती है क वे माह दिसम्बर 2021 से प्रत्येक वर्षान्त में जी वत प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में निगम की पेंशन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करावें जी वत प्रमाण-पत्र नहीं जमा कराने पर जनवरी से पेंशन भुगतान नहीं कया जावेगा।

पथ वक्रेता पी.एम. स्वनिधी के तहत 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त निगम के झोन कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 21 अगस्त । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ वक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सद्धी वशेष अ भयान के तहत ऋण उपलब्ध कराने

हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है क नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पथ वक्रेता जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत रा श रूपये 10ए000६ का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है वे नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए डॉ0 अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्डए अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ वक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ वक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नागरिक व दुकानदार को वड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 21 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु को वड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य कया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मा लकों से अपील की है क सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डस्टें संग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अ धक लोग इक` नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 21 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्दे शत कया है क वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से

प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधत कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशत कया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशत कया क दोनो पालयों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशत कया है क वे प्रतिदिन प्रमाणत करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 21 अगस्त । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-नालयों आदि समुचत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-नालयों में कचरा पाये जाने पर संबंधतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा

एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/21ण08ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.